बिहार सरकार

विधि विभाग

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023

विषय सूची।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 24 का संशोधन।
4. अनुसूची 3 का संशोधन।
5. संक्रमणकालीन उपबंध।

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

चूँकि, बिहार राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है,

और, चूँकि, बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने के लिए उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत–संविधान के अनुच्छेद, 213 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।**– (1) यह अध्यादेश बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 कहा जा सकेगा।

   (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :

   परन्तु इस अध्यादेश के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अध्यादेश के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रति निर्देश है।

2. **धारा 2 का संशोधन।**– बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,–

   (क) खंड (80) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जायेंगे, अर्थात्:–

'(80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है :

(80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियाँ भी है, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं ;

(ख) खंड (102) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से,–

(i) दांव लगाने ;

(ii) कैसिनो ;

(iii) द्यूतक्रीडा ;

(iv) घुड़दौड़ ;

(v) लॉटरी ; या

(vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,

में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।';

(ग) खंड (105) में, अंत में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस अध्यादेश के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो।";

(घ) खंड (117) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

'(117 क) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो आय–कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (47क) में उसका है;'।

3. धारा 24 का संशोधन।– मूल अधिनियम की धारा 24 में,–

(क) खंड (xi) में, अंत में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (xi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(xi क) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और"।

4. **अनुसूची–3 का संशोधन।**– मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 6 में, "लॉटरी, दांव और द्यूत" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" शब्द रखे जायेंगे।

5. **संक्रमणकालीन उपबंध।**– इस अध्यादेश के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, लॉटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

(ह0)
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर,
राज्यपाल, बिहार।

पटना,
दिनांक 28 सितम्बर, 2023

बि0स0मु0 (विधि), 3–डी0टी0पी0–750–7.10.2023

भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड(1) के अधीन मैंने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

(ह0)
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर,
राज्यपाल, बिहार।

पटना,
दिनांक 28 सितम्बर, 2023

सत्य–प्रति

(रमेश चन्द मालवीय),
सचिव, विधि विभाग,
बिहार सरकार।